



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04032025-261461
CG-MH-E-04032025-261461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]
No. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

शुद्धि-पत्र

मुंबई, 4 मार्च, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/234.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की तारीख 17 फरवरी, 2025 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुई थी) में, हिन्दी रूप में, पृष्ठ सं. 2 पर, विनियम 3 के उप-विनियम (I) के खंड (ii) में दिए हुए शब्दों, चिह्नों तथा अंक “उप-विनियम (29) के बाद” को “उप-विनियम (30) के बाद” के रूप में पढ़ा जाएगा, और चिह्नों तथा अंक “(30)” को चिह्न तथा अंक “(31)” के रूप में पढ़ा जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1008/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**CORRIGENDUM**

Mumbai, the 4th March, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/234.—In the notification of Securities and Exchange Board of India No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/230 dated 17th February, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, in the English version, at page 6, in Regulation 3, in sub-regulation (I), in clause (ii), the words and symbol “after sub-regulation (29)” shall be read as “after sub-regulation (30)” and the symbol “(30)” shall be read as “(31)”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./1008/2024-25]